मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2015 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 17, 1937)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम,1997 की धारा 49 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार आयुक्त नि:शक्तजन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री –

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 44 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2012-2013, तथा

(ख) मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 की धारा 18 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012
पटल पर रखेंगी.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(i) क्रमांक 1737-म.प्र.वि.नि.आ,-2015, दिनांक 28 सितम्बर, 2015,
(ii) क्रमांक 1854/म.प्र.वि.नि.आ./2015, दिनांक 14 अक्टूबर, 2015,
(iii) क्रमांक 1875/म.प्र.वि.नि.आ./2015, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015,
(iv) क्रमांक 1709/म.प्र.वि.नि.आ./2015, दिनांक 18 सितम्बर, 2015, तथा
(v) क्रमांक 813/म.प्र.वि.नि.आ./2015, दिनांक 8 मई, 2015

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015, तथा

(ग) मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2014- 2015
पटल पर रखेंगे.

(4) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण –

(क) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक), तथा

(ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 की उप धारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014
पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर नगर में विद्युत उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी के झूठे प्रकरण बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य, ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज बिरला ग्राम नागदा द्वारा श्रमिकों के लिए सेवा निवृत्ति आयु संबंधी शासन के आदेश का पालन न करने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 136-सिवनी-मालवा से निर्वाचित सदस्य, श्री सरताज सिंह को विधान सभा के दिसम्बर, 2015 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, याचिका समिति का बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां एवं सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के -
(क) ग्राम धुड़हर में जलाशय की मेड़ बंधान एवं जलाशय विस्तारीकरण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम सुगमा के लिये नहर बनाये जाने,
(2) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के -
(क) लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान किये जाने, तथा
(ख) पार्वती नदी पर स्थित देहरी घाट को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने,
(3) श्री विष्णु खत्री, सदस्य, भोपाल जिले के हलाली बांध डूब प्रभावितों को जमीन का मुआवजा दिलाये जाने,
(4) श्री वीर सिंह पवार, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम लापरा में हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रारंभ किये जाने,
(5) श्रीमती शकुन्तला खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम बौसोराकलां के सतीपुरा मार्ग को सी.सी. रोड बनाये जाने,
(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम बड़ौदा में अध्ययन केन्द्र की स्थापना किये जाने, तथा
(7) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम आड़ेगांवकलां में 33/11 के.वी. का विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

7. संकल्प

30 मि.

श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में, यह सभा संकल्प करती है कि सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (क्रमांक 46 सन् 1993) संसद द्वारा निरसित किया जाए.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. (1) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 14 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (2) श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015, (क्रमांक 15 सन्2015) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 7 दिसम्बर, 2015